

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.5(3)गृह-1 / 2026 (30242)

जयपुर, दिनांक : ई-साइन

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम-32 के अन्तर्गत गठित राजस्थान पुलिस सेवा के सलेक्शन स्केल की वर्ष 2015-16, 2016-17, 2024-25 एवं 2025-26 की रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 08.10.2026 की अभिशंशाओं के अनुसार विभिन्न प्रकरणों में पूर्व में जारी पदोन्नति आदेशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

वर्ष 2015-16

श्री दिनेश कुमार अग्रवाल को सीनियर स्केल वर्ष 2012-13 में पदोन्नत किये जाने के परिणामस्वरूप सलेक्शन स्केल वर्ष 2015-16 में पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री संजीव भटनागर के ऊपर निर्धारित की जाती है।

सामान्य वर्ग की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने कारण इस चयन सूची से सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित अधिकारी श्री कैलाश सिंह सान्दू का चयन निरस्त किया जाता है।

वर्ष 2016-17

श्री दिनेश कुमार अग्रवाल को वर्ष 2015-16 में पदोन्नत किये जाने के कारण वर्ष 2016-17 की चयन सूची से इनका नाम विलोपित किया जाता है।

श्री कैलाश सिंह सान्दू का वर्ष 2015-16 से चयन निरस्त किये जाने कारण वर्ष 2016-17 में चयन किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री दशरथ सिंह के नीचे निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2024-25

तीसरी संतान संबंधी प्रकरण में श्री सोहेल राजा को सलेक्शन स्केल वर्ष 2023-24 में छाया पद के विरुद्ध पदोन्नत किये जाने के कारण दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में सलेक्शन स्केल में कार्यरत अधिकारियों की संख्या में 01 की वृद्धि होने के कारण सलेक्शन स्केल वर्ष 2024-25 की चयन सूची से अंतिम चयनित अधिकारी श्री दीपक कुमार का चयन निरस्त किया जाता है।

वर्ष 2025-26

श्री दीपक कुमार का वर्ष 2024-25 से चयन निरस्त किये जाने के कारण वर्ष 2025-26 में चयन किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री अतुल साहू के ऊपर निर्धारित की जाती है।

सामान्य वर्ग की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण इस चयन सूची से सामान्य की रिक्ति के विरुद्ध चयनित अंतिम अधिकारी श्रीमती अंजली अजीत जोरवाल का चयन निरस्त किया जाता है।

RajKaj Ref No.:
25179459



Digitally signed by RAJESH JAIN

Designation: Senior Deputy Secretary To Government

Date: 2026-10-26 17:01:19 IST

उक्त पदोन्नति आदेश माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्वधीन है। पदोन्नत अधिकारी को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा। उक्त पदोन्नत अधिकारीगण अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेश जैन)

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी/मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

